

## BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

## PRINCIPAL BENCH- NEW DELHI

OA 754/2022

IN THE MATTER OF:

KHEM CHAND

....APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS

....RESPONDENTS

INDEX

S NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Additional Compliance Affidavit on behalf of the Respondent Ground Water Department	3
2.	<b>ANNEXURE R-1:</b> A true copy order dated 08.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), New Delhi.	10-12
3.	<b>ANNEXURE R-2:</b> A true copy of the letter dated 20.02.2023.	13-17
4.	<b>ANNEXURE R-3:</b> A true copy of the meeting dated 16.03.2023.	18-21
5.	<b>ANNEXURE R-4:</b> A true copy of letter dated 12.04.2023.	22
6.	<b>ANNEXURE R-5:</b> A true copy of the letter dated 08.11.2023.	23
7.	<b>ANNEXURE R-6:</b> A true copy of the letter dated 07.02.2024.	24
8.	<b>ANNEXURE R-7:</b> A true copy of the letter dated 31.05.2024.	25-26

①

9.	<b>ANNEXURE R-8:</b> A true copy of inspection report dated 18.06.2024.	27-28
10.	<b>PROOF OF SERVICE</b>	

 **RESPONDENT - GROUND WATER DEPARTMENT**

THROUGH



**MR. VEDANSH ANAND**  
( Central Govt. Counsel)

**Off:** 103, Surya Mansion, 1, Kaushalya Park,  
Hauz Khas, New Delhi-110016

**Mob:** +91-8076802450

**Email:** vedansh.gpoffice@gmail.com

**Place:** New Delhi

**Dated:** 18.07.2024

(2)



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH- NEW DELHI

OA 754/2022

IN THE MATTER OF:

KHEM CHAND

....APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS


....RESPONDENTS

ADDITIONAL COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF  
RESPONDENT GROUND WATER DEPARTMENT

I, SRIKANTI JAINWAL <sup>D</sup>/o. MUKUN JAINWAL aged about 32 years working as ASSISTANT GEOPHYSICIST GROUND WATER DEPT., do hereby solemnly state and affirm as under:

1. That I am familiar with the facts and circumstances of the case having dealt with it in my official capacity and am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That the answering respondent is the Director of Ground Water Department, Govt. of UP. Therefore the reply in the paragraphs would be limited to Respondent Ground Water Department only.
3. That I have read and understood the contents of writ petition and the reply to it is set as below:-

SUBMISSIONS:



*[Handwritten signature]*

3


4. That in compliance with the order dated **08.05.2024** passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), New Delhi in the above mentioned case.

That it is observed by the Hon'ble Tribunal in the impugned order -

*District Groundwater Authority, Ghaziabad is represented through the Counsel today who was informed that on 12.04.2023 penalty of Rs.2 lakh was imposed upon Dinesh Kasana and same was not deposited, therefore, notice dated 08.11.2023 was issued to him for depositing the penalty. He submits that requisite steps will be taken within four weeks to ensure recovery of the penalty amount. He has also submitted that reminder to Sh. Dinesh Kasana for depositing the amount has also been issued on 07.02.2024*

*Hence, we dispose of the M.A. directing the District Magistrate, Ghaziabad/Chairman, District Groundwater Management Authority, Ghaziabad to file an action taken report before the Registrar General of the Tribunal within three months. If found necessary, the matter may be listed for consideration before the Tribunal.*

That it is submitted that due to illegal groundwater extraction by Mr. Dinesh Kasana, the District Groundwater Management Council, Ghaziabad decided to seal the illegal borewell by appointing the City Magistrate as the designated magistrate on 20.02.2023.



4

**A true copy order dated 08.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), New Delhi is attached herewith as Annexure R-1.**

**A true copy of letter dated 20.02.2023 is attached herewith as Annexure R- 2.**

5. That due to illegal groundwater extraction by Mr. Dinesh Kasana, the District Groundwater Management Council, Ghaziabad, in its meeting on 16.03.2023, unanimously decided to impose a fine of Rs. 2.00 lakh. **A true copy of meeting dated 16.03.2023 is attached herewith as Annexure R-3.**


6. That the office of the District Magistrate, Ghaziabad, through letter dated 12.04.2023, issued the first notice of instruction to Mr. Dinesh Kasana to deposit an amount of Rs. 2.00 lakh.

A true copy of letter dated 12.04.2023 is attached herewith as **Annexure R- 4.**

7. That the office of the District Magistrate, Ghaziabad, through letter dated 08.11.2023, issued the second notice of instruction to Mr. Dinesh Kasana to deposit an amount of Rs. 2.00 lakh.

A true copy of letter dated 08.11.2023 is attached herewith as **Annexure R-5.**

8. That the office of the District Magistrate, Ghaziabad, through letter dated 07.02.2024, issued the third notice of instruction to Mr. Dinesh Kasana to deposit an amount of Rs. 2.00 lakh (Annexure-6).



*[Handwritten signature]*

5

A true copy of letter dated 07.02.2024 is attached herewith as Annexure R-6.

9. That the office of the District Magistrate, Ghaziabad, through letter dated 31.05.2024, issued a recovery order to collect the imposed fine amount of Rs. 2.00 lakh as land revenue and deposit it into the Groundwater Fund under Public Account head 8235002000400.

A true copy of letter dated 31.05.2024 is attached herewith as Annexure R-7.

10. That on 18.06.2024, an inspection of the previously sealed borewell was conducted. During the inspection, the previously sealed borewell was found to be sealed.


A true copy of the inspection report dated 18.06.2024 is attached herewith as Annexure R- 8.

#### PRAYER

In the light of the foregoing, aforesaid respondent has attempted to comply with the order of the Hon'ble Tribunal date 08.05.2024 in true spirit.

**RESPONDENT - GROUND WATER DEPARTMENT**


THROUGH

  
**MR. VEDANSH ANAND**  
( Central Govt. Counsel)

Off: 103, Surya Mansion, 1, Kaushalya Park,  
Hauz Khas, New Delhi-110016

Mob: +91-8076802450

Email: vedansh.gpoffice@gmail.com



Place: New Delhi

Dated: 18.07.2024 .



6


VERIFICATION

05 AUG 2024  
daughter

I. SRISHTI JAISWAL \_\_\_\_\_, <sup>daughter</sup> son of MUKUN JAISWAL  
aged 32 years, presently serving as ASSISTANT GEOPHYSICIST do  
hereby verify at New Delhi on 5 day of August 2024. That the contenting the  
above reply contained in Para 1 to 5 are true to the best of my knowledge  
as derived from the official record, reply to ground Para 6 to 10 are based  
on legal advice received and noting material has been conceded *thereon*.

*Spouse,*  
I identified the deponent who  
has signed in my presence

DEPONENT



ATTESTED  
  
NOTARY (S.O. of India)  
Neelam Sharma  
Advocate  
Ch. No 165A, Gate No. No. 11,  
Patiala House Courts,  
New Delhi-110001  
M: 9899408301

05 AUG 2024

सर्वप्रथम प्रकाशित

GOVERNMENT OF INDIA



A

Issue Date: 11/1/2014

मेरा आधार, मेरी पहचान

(8)

8



भारतीय पहचान प्रमाण प्रधिकरण

Unique Identification Authority of India

6

Print Date: 32/10/2020

पत्ता: P

पत्ता

श.

पुराना

पुराना

शहर.


217

Address

Old

Pradesh

A



Handwritten mark



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.

Item No. 05

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**(By Video Conferencing)**

Original Application No. 754/2022

Khem Chand

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent(s)

Date of hearing: 17.03.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Pradeep Misra &amp; Mr. Daleep Dhyani, Advocate for UPPCB

**ORDER**

1. Grievance in this application is against extraction of ground water illegally for commercial purpose of sale of water in 'Over Exploited Area' at E-Block, in front of temple, Nehru Nagar II, Ghaziabad, U.P.
2. Vide order dated 03.01.2023, considering the allegations in the application and earlier order of the Tribunal dated 17.10.2022 in OA No. 438/2018, *Arti vs. Central Ground Water Authority & Ors.*, the Tribunal constituted a joint Committee comprising State PCB and District Level Authority of UP Ground Water Department to furnish a factual report in the matter.
3. Accordingly, report dated 13.03.2023 has been filed by the State PCB after site inspection finding that Dinesh Kasana had established the plant illegally against which closure order dated 27.02.2023 was passed and the

plant was sealed on 01.03.2023. Proposal for imposition of environmental compensation was put up under the provisions of Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 before the District Ground Water Management Council, Ghaziabad. Relevant extracts from the report are:

- .....xxx.....xxx.....xxx
6. *That at the time of inspection an unauthorized RO water plant was found operational on said site and was being operated by Shri Dinesh Kasana S/o Shri Mahafool. II E-171, Baradari, Behru Nagar, Ghaziabad. The said plant has been established without obtaining any statutory permission from UP Ground Water Department, UPPCB or any of the departments concerned. Thus, the allegations made by the complainant were found to be true by the District Level Task Force. Photographs taken at the time of inspection are as below.*
  7. *That the said plant was operational in residential area, thus under no circumstances permission for operation of the said unit can be granted by the State PCB under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.*
  8. *That as per unit's representative, around 2000 litre of RO water was being made per day in the said plant and was being sold in 20 litre jars. The reject waste water was being discharged in an open drain by the unit operator.*
  9. *That in view of the above-mentioned violation, the State Board has issued closure order against the said unit under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 on 27.02.2023. Copy of said order is annexed as Annexure 1.*
  10. *That the proposal for closure of said RO plant was put up before the District Ground Water Management Council on 20.02.2023 and same was approved under the provisions of Section 11(1)(a) of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019. City Magistrate, Ghaziabad was nominated for ensuring sealing of the said unauthorized RO plant in residential area. Copy of Minutes of Meeting dated 20.02.2023 of District Ground Water Management Council, Ghaziabad are annexed as Annexure 11.*
  11. *That the illegal borewell/RO Plant was sealed by District Level Task Force in presence of City Magistrate, Ghaziabad on 01.03.2023. Copy of said report is annexed as Annexure III.*
  12. *That compliance and action taken report in said matter has also been furnished by the Executive Engineer, Minor Irrigation/UPGWD(Nodal), Ghaziabad on 01.03.2023, same is annexed as Annexure IV.*

13. *That the proposal for imposition of environmental compensation and deciding upon the offence and penalty thereupon as per provisions of Section 39 under Chapter VIII of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 is to be put up in forthcoming meeting of District Ground Water Management Council in Ghaziabad."*

4. It is clear from the above, that there is failure of vigilance by the statutory regulators which is resulting in depletion of groundwater and such failure needs to be checked throughout the State by concerted campaign by the statutory violators.

5. In view of above, let further action be taken by the State PCB and District Level Authority of UP Ground Water Department in accordance with law and concluded preferably within two months and action taken report filed before the Registrar General of this Tribunal by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF within two months. If found necessary, the Registrar General of this Tribunal may place the matter before the Bench for further directions. The UP Groundwater Department may initiate campaign to check such violations throughout the State.

Subject to above, the application is disposed of.

A copy of this order be forwarded to State PCB and UP Ground Water Department by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

March 17, 2023  
Original Application No. 754/2022  
DV

**अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की दिनांक 20-02-2023 को कलेक्ट्रेट, सभागार में आहुत बैठक का कार्यवृत्त।**

दिनांक 20.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक कलेक्ट्रेट, सभागार में आहुत की गयी, जिसमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निम्नांकित सदस्यों ने प्रतिभाग किया:-

1. विक्रमादित्य सिंह मलिक, मु.वि.अधि./सदस्य सचिव, जि.भू.ज.प्र.प., गाजियाबाद।
2. हरिओम, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, गाजियाबाद/नोडल अधिकारी, प्रा0वा0पोर्टल।
3. राकेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, जी0डी0ए0, गाजियाबाद।
4. जाफर अली, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
5. अशोक कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय वन अधिकारी, मोदीनगर, गाजियाबाद।
6. संदीप कुमार सहायक आयुक्त उद्योग, डी0आई0सी0, गाजियाबाद।
7. एन0के0 पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0प्र0नि0बो0, गाजियाबाद।
8. निधि, उद्यान अधिकारी, उद्यान विभाग, गाजियाबाद।
9. सुधीर कुमार, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई, गाजियाबाद।

नोडल अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अनुमति से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए, पोर्टल पर एन0ओ0सी0 निर्गमन हेतु प्राप्त 07 ऑनलाइन आवेदन, नवीनीकरण के प्राप्त 04 एन0ओ0सी0 आवेदन एवं कूप पंजीकरण हेतु प्राप्त 10 आवेदन, ड्रिलिंग एजेन्सी के 02 आवेदन एवं राज्य प्राधिकरण को पूर्व प्रेषित 17 फर्मों के आवेदनों के संस्तुति सहित कुल 40 प्रकरणों पर विचार किया गया।

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशक भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त, श्री खेमचन्द, एडवोकेट, चैन.-83, जिला कोर्ट, राजनगर, गाजियाबाद के शिकायती पत्र, जो श्री अमित एवं श्री दिनेश कसाना पुत्र श्री महाफूल, 2ई-171, बारादरी, नेहरू नगर, गाजियाबाद द्वारा अवैध बोरवेल लगाकर आर0ओ0प्लान्ट चलाये जाने के सम्बन्ध में है, का टास्क फोर्स के सत्यापन में सही पाई गई। यह प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन है। जिसकी विस्तृत आख्या दिनांक 17.03.2023 तक उपलब्ध कराई जानी है। इस सम्बन्ध में सिटी मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट नामित करते हुये, अवैध बोरवेल/आर0ओ0प्लान्ट को सील कराने के निर्देश दिये गये हैं।

क्र0सं0	आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत कहाँ से प्राप्त	नोटिस जारी	भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण।
1	श्री खेमचन्द, एडवोकेट, चैन.-83, जिला कोर्ट, राजनगर, गाजियाबाद	श्री दिनेश कसाना पुत्र श्री महाफूल, 2ई-171, बारादरी, नेहरू नगर, गाजियाबाद द्वारा आर0ओ0प्लान्ट चलाये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ	पत्रांक 2354 दिनांक 03.02.2023 को नोटिस जारी	सिटी मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट नामित करते हुये, अवैध बोरवेल/आर0ओ0प्लान्ट को सील कराने का निर्णय लिया गया। निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, गाजियाबाद

परिषद् में प्रस्तुत एन0ओ0सी0 आवेदनों के निस्तारण का विवरण- 9911714272

क्र. सं.	आवेदन संख्या	मात्रा (के. एल.डी.)	आवेदक का नाम	फर्म का विवरण	फर्म का पता	विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र	भू जल उपयोग / आवेदन का प्रकार	भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) एन0ओ0सी0 आवेदन-								
1	GZBD022 3NIN0578 MSME	16.4 D/ 4812 Y	CHARAN DAS GARG	ESTER INDIA CHEMICALS PVT. LTD.	PLOT NO C4 AND C4/1, SITE IV, SAHIBABAD, GZB	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

2	GZBD012 3NIN0575 MSME	9 D/ 2970 Y	KAILASH SINGH BOHRA	M/S AAMOR INOX LIMITED	10, SITE-II, LONI ROAD INDUSTRIAL AREA	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	बोरवेल पर स्थापित न होने अस्वीकृत किये दिया गया।
3	GZBD022 3NIN0577 MSME	9 D/ 3150 Y	ARUN KU MAR GOEL	M/s Kasuya GPP Auto Products	A-22, Meerut Road Industrial Area Ghaziabad UP	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	आवेदन को एनओसी करने की पात्रता कारण स्वीकृत किये निर्णय लिया गया।
4	GZBD022 3NIN0579 MSME	44 D/ 13200 Y	SUBHASH CHAND YADAV	LAKSHAY ENTERPRISE S OLD NAME SHIKHA ENTERPRISE S	A-44, ROOP NAGAR, INDUSTRIAL AREA, LONI, GZB	LONI	INDUS TRIAL	आवेदन को एनओसी करने की पात्रता धारित कारण स्वीकृत किये जाने निर्णय लिया गया।

## (ब) एनओसी नवीनीकरण आवेदन-

5	GZBD0123 RIN0552	10 D/ 3000Y	SHASHI JA IN	RAJUL ELECTRODES	PLOT NO. 61/4 SITE-4 SAHIBABAD INDUSTRIAL AREA GHA	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हे राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिए गया।
6	GZBD022 3RIF0168	0 D/ 0 Y	BIR SINGH PUNDIR	URBAN HOMES BY M/S UTILITYEST TES PRIVATE LIMITED	Vill Shahpur Bamhela Pargana Dasna, Teh & Distt Gh	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INFRA STRUCTURE	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हे राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
7	GZBD022 3RIN0559	21 D/ 6300 Y	PANKAJ M ITTAL	MAHAVEER AQ'JA PVT. LTD.	PLOT NO- 64/5/13, SITE- IV, INDUSTRIAL AREA, SHAHIBA	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हे राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
8	GZBD012 3RIN0553	35 D8/105 00 Y	BHARAT BHUSAN	MODERN INDUSTRIES	G.T. ROAD SAHIBABAD GZB	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हे राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
9	GZBD012 3RIN0549	30 D/ 10890 Y	MANISH SINHA	BENNETT COLEMAN AND COMPANY LIMITEED	PLOT NO 13, SITE IV, SAHIBABAD, GZB	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	वाटर फ्लोमीटर का फ्लोरेट अधिक के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
10	GZBD012 3RIN0550	45 D/ 16335 Y						बोरवेल का डाय मिन्न के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
11	GZBD012 3RIN0551	21 D 77623 Y						

## (स) कूप पंजीकरण आवेदन-

12	GZBD0123 RBU0022 MSME	5 D/ 1500Y	SANJAY KUMAR AWAL	SANJAY ENGINEERS	THE TARANG GUEST Hs 23 DISST CENTER SEC 23 SANJAY	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	BULK USER	बोरवेल पर वाटर फ्लोमीटर स्थापित न होने के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
----	-----------------------------	---------------	-------------------------	---------------------	--	--	--------------	--

	GZBD012 3RIN0547 MSME	9 IV/ 2700 Y	ANIL GUPTA	BA FABRICATOR S.COM	C 95, BULANDBAH R ROAD INDUSTRIAL AREA, SITE 1	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
14	GZBD022 3RBU002 3 MSME	24 D/ 744 Y	RISHIRAJ SHARMA	CITY LODGE	198 KALLUPURA AMBEDKAR ROAD GZB	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	BULK USER	शोरशुद्ध पर माटर फ्लोमिटर स्थापित न होने के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
15	GZBD022 3ORIN055 4	100 D/ 33000 Y	MOHD SALEEM QURESHI	AL NASIR EXPORTS PVT LTD.	KHASRA NO. 2781, VILLAGE BHOORGARHI DASNA, GZB	RAJAPUR	INDUS TRIAL	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
16	GZBD022 3ORIN055 6 MSME	9 D/ 2700 Y	RAJESHW AR CHAUDHA RY	ASSOCIATED MACHINERY MANUFACTU RERS	26/2, SOUTH SIDE OF G.T. ROAD, SITE-1 INDUSTRIAL	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
17	GZBD022 3RIN0557 MSME	0 D/0 Y	SATTO DEVI	M/S NARENDRA UDYOG	C-20 SITE-3, MEERUT ROAD INDUSTRIAL AREA, GZB	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	दैनिक उपयोग घण्टे शून्य न होने के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
18	GZBD022 3RIN0558 MSME	0 D/ 0 Y	DINESH M ITTAL	M/S MAHAVEER CYLINDERS LIMITED	59/1/5 SITE-IV INDUSTRIAL AREA SHAHIBABAD GHAZIABA	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	दैनिक उपयोग घण्टे शून्य न होने के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
19	GZBD022 3RIN0560 MSME	8 D/2800 Y	MOHD NAEEM	TRIPLE 7 RECYCLER	KHASRA NO- 705, DUHAI INDUSTRIAL AREA, GZB	Municipal Corporation/ Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
20	GZBD0223RI N0561 MSME	10 D/3000 Y	DINESH MIT TAL	M/S MAHAVEER CYLINDERS LIMITED	59/1/5 SITE-IV INDUSTRIAL AREA SHAHIBABAD GHAZIABA	Municipal Corporation/N agar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
21	GZBD0223RI N0562 MSME	0D/0Y	DINESH MIT TAL	M/S MITTAL UDYOG LIMITED	B-45 SITE-IV INDUSTRIAL AREA, SAHIBABAD GHAZIABAD	Municipal Corporation/N agar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIAL	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
22	GZBD0123RI N0542 MSME	3D/1050Y	NITIN GARG	HSSR GLOBAL LLP	PLOT NO. E-24, INDUSTRIAL AREA, UDYOG KUNJ, GZB	Municipal Corporation/N agar Nigam, Ghaziabad	INDUS TRIA	एम0एस0एम0ई0 प्रमाण पत्र अस्वीकृत होने के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।।
(द) वेधन अभिकरण के पंजीकरण आवेदन-								
23	GZBD223DA0001			MOHD ANAS, C/O MASROOF AHMAD, BIJNOR, U.P. 246701				आवेदन को वेधन अभिकरण का पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

24	GZBD223DA0002		MOHD AMIR, 439, BIJNOR, U.P. 246701	- - आवेदन को वेगम पंजीकरण निर्गत करने धारित करने के कारण जाने का निर्णय लिया गया
राज्य प्राधिकरण से प्राप्त संस्तुति का विवरण-				
क्र.सं.	आवेदन संख्या	आवेदनकर्ता का विवरण	भूजल उपयोक्ता का प्रकार / विकासखण्ड	राज्य प्राधिकरण से प्राप्त संस्तुति उपरान्त भूगर्भ प्रबन्धन परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण।
25	GZBD1222RIN0522	RSPL Unit sahibabad, Sri sanjay tripathi	INDUSTRIAL Municipal corporation/nagar nigam ghaziabad	दिनांक 15.12.20217 से अनापत्ति निर्गमन हेतु संस्तुति उपरान्त स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
26	GZBD0922RIN0382	Shri Ram pistions and rings ltd, Shri sunil joshi	INDUSTRIAL Municipal corporation/nagar nigam ghaziabad	सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद के पत्र सं० 2521/ल०सि०/एक्ट-एन०ओ०सी०/2022-23 दिनांक 13.02.2023 द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर दिनांक 12.12.2018 से अनापत्ति निर्गमन हेतु संस्तुति उपरान्त स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
27	GZBD0922RIN0381	Shri Ram pistions and rings ltd, Shri sunil joshi	INDUSTRIAL Municipal corporation/nagar nigam ghaziabad	सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद के पत्र सं० 2521/ल०सि०/एक्ट-एन०ओ०सी०/2022-23 दिनांक 13.02.2023 द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर दिनांक 12.12.2018 से अनापत्ति निर्गमन हेतु संस्तुति उपरान्त स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
28	GZBD1122RIN0503	Gaurang products pvt. Ltd. Nitin agrgarwal	INDUSTRIAL Municipal corporation/nagar nigam ghaziabad	सी०जी०एच०ए० से लगाई आपत्तियों का निराकरण करते हुये एन०ओ०सी० निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
29	GZBD1122RIN0503	Gaurang products pvt. Ltd. Nitin agrgarwal	INDUSTRIAL Municipal corporation/nagar nigam ghaziabad	सी०जी०एच०ए० से लगाई आपत्तियों का निराकरण करते हुये एन०ओ०सी० निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
30	GZBD0822RBU0010	Uninav bliss, Shri saching kumar yadav	BULK-USER Municipal corporation/n nigam gh	लगाई आपत्तियों का निराकरण करते हुये निर्णय लिया गया।
31	GZBD0922RIN0434	TATA STEEL LIMITED, SITE-4, SAHIBABAD INDUSTRIAL AREA, SITE-4, GZB, THACHAT VISWANATH NARENDRAN	INDUSTRIAL Municipal corporation/nagar nigam, ghaziabad	के कार्यालय पत्रांक ण की समयावधि के केये जाने का निर्णय
32	GZBD0922RIN0435			
33	GZBD0922RIN0436			
34	GZBD0922RIN0437			
35	GZBD1022RIN0458			
36	GZBD1022RIN0459			
37	GZBD1022RIN0460			
38	GZBD1022RIN0461			
39	GZBD1022RIN0462			
40	GZBD1022RIN0468			
41	GZBD1022RIN0469	TATA STEEL LIMITED, PLOT NO. 28,4 SAHIBABAD INDUSTRIAL AREA SITE-4 G, THACHAT VISWANATH NARENDRAN	INDUSTRIAL Municipal corporation/nagar nigam, ghaziabad	

MISME श्रेणी के एकाधिकारी निर्णय हेतु प्राप्त 04 आवेदन में से 03 आवेदन (क्रमांक 01,03,04) के उपर्युक्त आवेदकों को स्वीकृत किये जाने के कारण एवं MISME प्रमाण पत्र सम्पादन होकर उपलब्ध होने से उपर्युक्त कर्मियों के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। अवशेष 01 आवेदन (क्रमांक 02) को कौलम 9 में उपर्युक्त के गोतीकाइक क्षेत्र से एकाधिकारी पंजीकरण हेतु प्राप्त 07 आवेदन में से 03 आवेदन (क्रमांक 05-07) को कौलम 9 में उपर्युक्त कर्मियों के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। 04 आवेदन (क्रमांक 08-11) को फर्म को मौखिक MISME होने के कारण अधिक कार्यवाही हेतु ऑन लाइन के माध्यम से सम्पादन/प्राधिकरण/भूगर्भ जल विभाग,उ०प्र० को अपसारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कृष पंजीकरण के 11 आवेदनों में से 05 आवेदन (क्रमांक 12,14,17,19,22) को कौलम 9 में उपर्युक्त कर्मियों के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। अवशेष 06 आवेदन (क्रमांक 13,15,16,19, 21) को कृष पंजीकरण करने की पात्रता धारित करने के कारण एवं MISME प्रमाण पत्र के सम्पादन होकर उपलब्ध होने के उपर्युक्त आवेदन को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। MISME सम्बन्धी एकाधिकारी निर्णय एवं कृष पंजीकरण के सम्बन्धित आवेदन एकाधिकारी निर्णयित/अपमानित होने पर तदनुसार स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।

केहन अभिकरण के पंजीकरण सम्बन्धी 02 आवेदन (क्रमांक 23-24) को केहन अभिकरण का पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य प्राधिकरण से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर 17 आवेदन ( क्रमांक संख्या 25-41 ) स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में उक्त के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धी अधिकारियों को निर्देश देते हुये बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(सकेश कुमार सिंह)  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गाजियाबाद।

### कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक १९९२/ल०सि०/जि.भू.ज.प्र.प./एन.ओ.सी./2022-23 दिनांक २९.२.२३

प्रतिलिपि:- निम्न की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०,लखनऊ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
- 3- जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- समस्त सदस्य, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गाजियाबाद।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की दिनांक 16-03-2023 को कलेक्ट्रेट, सभागार में आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 16.03.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक कलेक्ट्रेट, सभागार में आहुत की गयी, जिसमें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निम्नांकित सदस्यों ने प्रतिभाग किया:-

1. विक्रमादित्य सिंह मलिक, मुख्य किसान अधिकारी/सदस्य सचिव, जि.भू.ज.प्र.प., गाजियाबाद।
2. हरिओम, अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, गाजियाबाद/नोडल अधिकारी, ग्रा0वा0पोर्टल।
3. प्रशान्त गौतम, अधिशासी अभियन्ता, जी0डी0ए0, गाजियाबाद।
4. राजेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग, डी0आई0सी0, गाजियाबाद।
5. रामदत्त, सहायक अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), गाजियाबाद।
6. एन0पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गाजियाबाद।
7. मुरली सिंह, अपर जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद।
8. ध्रुवदेव वर्मा, प्रयोगशाला सहायक, उ0प्र0नि0बो0, गाजियाबाद।
9. संजय कुमार, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी, वन विभाग, गाजियाबाद।
10. सुधीर कुमार, अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई, गाजियाबाद।
11. शरद तिवारी, फ्रेन्ड्स एन0जी0ओ0, (नामित)।

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी), नई दिल्ली में योजित O.A. NO. 754/2022 Khem Chand Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में दिनांक 20.02.2023 को जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद की बैठक में उक्त शिकायत पर मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट नामित कर अवैध बोरवेल/आर0ओ0प्लान्ट को सील करवाने का निर्णय लिया गया। उक्त के अनुपालन में श्री दिनेश कसाना के अवैध बोरवेल/आर0ओ0प्लान्ट की जांचकर दिनांक 01.03.2023 को उक्त बोरवेल को सील कर दिया गया। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 के अध्याय-8, 39-(1-ख) में दो लाख रुपये से पाँच लाख रुपये तक जुर्माना या 06 माह से 01 वर्ष तक के कारावास अथवा दोनों के साथ दण्डित किये जाने का प्रावधान है। अतः श्री दिनेश कसाना के विरुद्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से दो लाख रुपये जुर्माना लगाये जाने का निर्णय लिया गया।

शिकायतों का विवरण -

क्र० सं०	आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम व पता	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत कहां से प्राप्त	नोटिस जारी	भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण।
1	मो० इरफान सैफी पुत्र श्री इलयास सैफी, निवासी म0सं0-731, कैला भट्टा, मेन बाजार, थाना कोतवाली, जिला-गाजियाबाद	सलीम पुत्र जहूर, रोयल वाटर प्लान्ट, कैला भट्टा, मेन बाजार, थाना कोतवाली, गाजियाबाद द्वारा अवैध आर0ओ0 सेन्टर चलाये जाने के सम्बन्ध में।	सीधी शिकायत	पत्रांक 2301 दिनांक 27.01.2023 को नोटिस जारी, पुनः शिकायत प्राप्त	पुनः जांच की जानी है।
2	सीधी शिकायत	मैक्स हास्पिटल, सेक्टर-1, प्लॉट नं०-356, वैशाली, गाजियाबाद दो बोरवेल द्वारा भूजल का दोहन किया जा रहा है।	अधोहस्ताक्षरी को वाट्सअप पर प्राप्त	-	नोटिस जारी किया जाना है।
3	सीधी शिकायत	महादेव होटल, अहटा चेयरमैन रेलवे रोड, बजरिया घण्टा घर, गाजियाबाद होटल पर अवैध बोरवेल की शिकायत	अधोहस्ताक्षरी को वाट्सअप पर प्राप्त	पत्रांक 2607 दिनांक 27.02.2023 को नोटिस जारी	पुनः नोटिस जारी करना है।
4	श्री प्रसून पन्त, निवासी-सो०-15, डी ब्लॉक, वसुन्धरा, गाजियाबाद	प्रबन्धक/संचालक ली क्रेस्ट हास्पिटल, सेक्टर-4, वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा बोरवेल से भूजल दोहन के सम्बन्ध में।	सीधी शिकायत	पत्रांक 1951 दिनांक 05.12.2022, एवं 2349 दिनांक 02.02.2023 को नोटिस जारी	अन्तिम नोटिस जारी करना है।
5	प्रदीप कुमार	वसुन्धरा के सेक्टर 17, कोणार्क एन्क्लेव ब्लॉक ई एण्ड डी में आवासीय परिसर में 28 बोरवेल	ई-मेल पर प्राप्त	पत्रांक 2192 दिनांक 11.01.2023 एवं 2330 दिनांक 31.01.2023 को नोटिस जारी,	अन्तिम नोटिस जारी करना है।

श्री प्रस्तुत पत्र विचारी-से-15, डी ब्लाक, बलुवनर, गाजियाबाद	घरुघरा के सेक्टर 17, न्यू स्कूल बिल्डिंग, 01 बोरवेल	अधोहस्ताक्षरी को यादरअप पर प्राप्त	जांच की गई कोई अधिकृत व्यक्ति उपरिभात नहीं था। रेनवाटर होवैस्टिंग हेतु 01 बोरवेल पाया गया। पुनः जांच की आवश्यकता है।
--	--	--	--

श्री विचारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिन आर0ओ0 सेक्टर को पूर्व में नोटिस जारी किया जा चुका, वह पुनः बिना अनुमति के भूजल दोहन कर रहे हैं। जिन पर एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। नोडल अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अनुमति से जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए, पोर्टल पर एन0ओ0सी0 निर्गमन हेतु प्राप्त 07 ऑनलाइन आवेदन, नवीनीकरण के प्राप्ति 14 एन0ओ0सी0 आवेदन एवं कूप पंजीकरण हेतु प्राप्त 06 आवेदन, कुल 27 प्रकरणों पर विचार किया गया।

परिषद में प्रस्तुत एन0ओ0सी0 आवेदनों के निस्तारण का विवरण-

क्र. सं.	आवेदन संख्या	मात्रा (के. एल.डी.)	आवेदक का नाम	फर्म का विवरण	फर्म का पता	विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र	भूजल उपयोग / आवेदन का प्रकार	भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) एन0ओ0सी0 आवेदन-								
1	GZBD0223 NIN0581 MSME	64.32 D/ 19296	ASHA AGGARWAL	T C HEALTH CARE PVT LTD	MODI STEEL COMPOUND, MODI NAGAR 201204	BHOJPUR	INDUST RIAL	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
2	GZBD0223 NIN0578 MSME	40 D/ 12000 Y	GAURAV KUMAR BHARDWAJ	R. K. TEXTILES	KHASRA NO. 192 M 7 168, SIKHEDA ROAD MODI NAGAR, GZB	BHOJPUR	INDUST RIAL	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
3	GZBD0322 NIN0403 MSME	20 D/ 6000 Y	PRAMOD KUMAR SADH	RADHEY RAMAN WASHING AND DYEING	PLOT NO. 4, KHASRA NO. 96/3, ARYA NAGAR INDUSTRIAL	LONI	INDUST RIAL	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
4	GZBD0322 NIN0400 MSME	30 D/ 9000 Y	PARVEJ KHAN	FINE WASH	PLOT NO. 40, RURAL, INDUSTRIAL AREA, LONI, GZB	LONI	INDUST RIAL	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
5	GZBD0422 NIN0408 MSME	16 D/ 4800 Y	IQBAL MALIK	MALIK DYEING	PLOT NO. 14, KHASRA NO. 357, ARYA NAGAR INDUSTRIAL	LONI	INDUST RIAL	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
6	GZBD0223 NIN0580 MSME	27 D/ 8100 Y	LAIK AHMAD	Z A WASHING	PLOT NO. 30, RURAL, INDUSTRIAL ESTATE, LONI, GZB	LONI	INDUST RIAL	आवेदन को एन0ओ0 सी0 निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
7	GZBD0323 NCO0008 MSME	22 D/ 648 Y	SHWETA KUMARI	MAA HOSPITAL	COMMERCIAL PLOT NO C- Y/1, SECTOR B-1, TDS CITY, LO	LONI	COMME RCIAL	आवेदन की श्रेणी भिन्न होने के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

## (ब) एनओसी नवीनीकरण आवेदन-

8	GZBD0223 RIN0567	2.04 D/ 600 Y	PARMEND RA KUMAR SHARMA	FLOWMOR B LIMITED UNIT-II	28-A/A1, SITE- IV, INDUSTRIAL AREA, SAHIBABAD, GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam Ghaziabad	INDUST RIAL	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
9	GZBD0223 RIN0570	56 D/ 84000Y	D S REDDY	MODI SUGAR MILLS (MODI INDUSTRIE S LIMITED)	MODINAGAR, GZB, U.P.	BHOJPUR	INDUST RIAL	बोरवेल का टाया भिन्न होने के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
10	GZBD0323 RIN0589	570 D/ 85500Y	D S REDDY	MODI SUGAR MILLS (MODI INDUSTRIES LIMITED)	MODINAGAR, GZB, U.P.	BHOJPUR	INDUST RIAL	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
11	GZBD0223 RIN0563	72 D/ 21600 Y	RAKESH KUMAR TIWARI	VRS FOODS LIMITED	B-33 AND 56, SITE-IV, INDUSTRIAL AREA, SAHIBABAD, GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUST RIAL	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
12	GZBD0223 RIN0564	192 D/ 67200 Y						
13	GZBD0223 RIN0565	60 D/ 18000 Y						
14	GZBD0223 RIN0571	24 D/ 7200 Y	LAGAN SHASTRI	DFM FOODS LTD	C-40, MEERUT ROAD, INDUSTRIAL AREA, GZB-2	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUST RIAL	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
15	GZBD0223 RIF0168	0 D/ 0 Y	BIR SINGH PUNDIR	URBAN HOMES BY M/S UTILITIES TATES PRIVATE LIMITED	Vill Shahpur Bamheta Pargana Dasna, Teh & Dist Gh	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	INFRAS TURCT URE	भूजल निष्कर्षण शून्य की मात्रा शून्य होने के कारण अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
16	GZBD0323 RBU0024	124 D/ 52560 Y	TARUN KUMAR CHAUHAN	M/S SAVFAB DEVELOPE RS PVT LTD(JASMI NE GROVE)	NH-24, NEAR MANIPAL HOSPITAL, GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	BULK USER	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
17	GZBD0323 RIN0579	60 D/ 18000 Y	RAVI KANT ARORA	M/S VAIBHAV INDUSTRIE S	49/28, SITE IV, SAHIBABAD, INDUSTRIAL AREA GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUST RIAL	नॉटीफाइड क्षेत्र के एनओसी आवेदनों को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य प्राधिकरण/ भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० को ऑन लाइन अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

## (स) कूप पंजीकरण आवेदन-

18	GZBD0223 RIN0566 MSME	8 D/ 2640 Y	VINIT KUMAR ARORA	SHREE GOPAL SALES	B-22, SITE 4, IND AREA, SAHIBABAD, GZB	Municipal Corporati on/Nagar Nigam, Ghaziabad	INDUST RIAL	आवेदन को कूप पंजीकरण निर्गत करने की पात्रता धारित करने के कारण स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
----	-----------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	---	---	----------------	--

स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। MSME सम्बन्धी एनओसी निर्माण एवं कूप पंजीकरण के सम्बन्ध में एनओएसओएमओईओ प्रमाणित/अप्रमाणित होने पर रातनुसार स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाएगा।  
अन्त में उक्त के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(समेश कुमार सिंह) 23

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गाजियाबाद।

**कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।**

पत्रांक 2808/ल0सि0/जि.भू.ज.प्र.प./एन.ओ.सी./2022-23

दिनांक 21-03-2023

प्रतिलिपि:- निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
- 3- जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- समस्त सदस्य, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गाजियाबाद।

## कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक 78 / ल0सि0 / नोडल0गो0पोर्टल / 2023-24

दिनांक 12-04-2023

श्री दिनेश कराना  
पुत्र श्री महाफूल,  
2ई-171, बारादरी,  
नेहरू नगर, जनपद-गाजियाबाद।

नोटिस

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1468/79-वि-1-19-1(क)-14-19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरघनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते(दोहन) पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय -8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, 9वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 1833/भू0ज0वि0 / एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक /लखनऊ/01.02.2023 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी), नई दिल्ली में योजित O.A. NO. 754/2022 Khem Chand Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 के साथ संलग्न नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को प्रेषित, श्री खेमचन्द एवं अन्य द्वारा श्री दिनेश एवं श्री अमित निवासी-बारादरी, ई-ब्लाक, नेहरूनगर 2, वाल्मिकी मंदिर के सामने, गाजियाबाद के द्वारा रिहाशी इलाके में अवैध रूप से बोरवेल/समर सिबल को लगाकर पानी का व्यापार करने व भूगर्भ जल को खत्म करने के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है।

दिनांक 03.02.2023 को टास्क फोर्स के समस्त सदस्यों द्वारा उपरोक्त बोरिंग की जांच की गई। जांच किये जाने पर बिना अनुमति/एन0ओ0सी0 के अवैध रूप से सबमर्सिबल बोरिंग एवं आर0ओ0प्लांट चालू पाया गया। उक्त प्रकरण पर दिनांक 20.02.2023 की जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक में समिति द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अवैध बोरवेल को सील किये जाने का निर्णय लिया गया। अधिशासी अभियन्ता, ल0सि0/नोडल अधिकारी ग़रउण्ड वेब पोर्टल के कार्यालय पत्रांक 2629 दिनांक 01.03.2023 द्वारा नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में टास्क फोर्स समिति के समस्त सदस्यों द्वारा दिनांक 01.03.2023 को उपरोक्त बोरिंग सील कर दी गई। जिसके सम्बन्ध में भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक दिनांक 16.03.2023 में आप द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाने पर निर्णय लिया गया।

भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 के अध्याय-8, 39-(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, आप पर दो लाख रुपये( रू 2,00,000/-) जुर्माने की धनराशि अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि "भूगर्भ जल निधि" के लोक लेखा शीर्ष 8235002000400 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए, साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(राकेश कुमार सिंह)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गाजियाबाद।

पत्रांक 79 / ल0सि0 / जि.भू.ज.प्र.प. / एन.ओ.सी. / 2023-24 दिनांकित।  
प्रतिलिपि:- निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
4. टास्क फोर्स समिति के समस्त सदस्य।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गाजियाबाद।

22

## कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

अनुसूचित / पंजीकृत

पत्रांक 2020 / ल0सि0 / नो0ग्रा0वा0पोर्टल / 2023-24

दिनांक 08-11-2023

श्री दिनेश कसाना  
पुत्र श्री महाफूल,  
नेहरुनगर,  
स्थायी पता-ग्राम-औरगाबाद रिस्तल, लोनी,  
जनपद-गाजियाबाद।

नोटिस-2

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1468/79-वि-1-19-1(क)-14-19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते(दोहन) पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय -8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे। निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, 9वें तल इन्दिरा भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 1833/भू0ज0वि0 /एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक /लखनऊ/01.02.2023 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी), नई दिल्ली में योजित O.A. NO. 754/2022 Khem Chand Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 के साथ संलग्न नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को प्रेषित, श्री खेमचन्द एवं अन्य द्वारा श्री दिनेश एवं श्री अमित निवासी-बारादरी, ई-ब्लाक, नेहरुनगर 2, वाल्मिकी मंदिर के सामने, गाजियाबाद के द्वारा रिहाशी इलाके में अवैध रूप से बोरवेल/समर सिविल को लगाकर पानी का व्यापार करने व भूमिगत जल को खत्म करने के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 79/ल0सि0/नो0ग्रा0वा0पोर्टल/2023-24 दिनांक 12.04.2023 द्वारा जिला भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 के अध्याय-8, 39-(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, आप पर दो लाख रुपये(रु 2,00,000/-) जुर्माने की धनराशि अधिरोपित की गई थी।

परन्तु आप द्वारा अद्यतन उक्त जुर्माने की धनराशि जमा नहीं की गई है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि "भूगर्भ जल निधि" के लोक लेखा शीर्ष 8235002000400 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए, साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(राकेश कुमार सिंह)  
आई ए एल  
जिलाधिकारी / अध्यक्ष,  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गाजियाबाद।

पत्रांक 2020 / ल0सि0 / जि.भू.ज.प्र.प. / एन.ओ.सी. / 2023-24 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी / सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई / नोडल अधिकारी भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
4. टास्क फोर्स समिति के समस्त सदस्य।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गाजियाबाद।

## कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

अपुराण-२ / २०२३

पत्रांक 2876 / ल0सि0 / नो0ग्रा0वा0पोर्टल / 2023-24

दिनांक 07/02/2024

श्री दिनेश कुमार

एवं श्री महाकुल

सहस्रकार

स्थायी पना-ग्राम-औरंगाबाद रिल्लल,लोनी,

जनपद-गाजियाबाद।

नोटिस-3

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1468/79-वि-1-19-1(क)-14-19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 प्रख्यापित होने के पश्चात् भूगर्भ जल का दोहन जिसे भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र(NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोगिता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल निकालते(दोहन) पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अनिकरण अध्याय-8 के अर्धीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे। निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, 9वें तल इन्दिरा भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 1233/नू0ज0वि0 / एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक / लखनऊ / 01.02.2023 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी), नई दिल्ली में याजित O.A. NO. 754/2022 Khem Chand Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 03.01.2023 के साथ संलग्न नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को प्रेषित, श्री खेमचन्द एवं अन्य द्वारा श्री दिनेश एवं श्री अनित निवासी-बारादरी, ई-ब्लाक, नेहलनगर 2, वाल्मिकी नदी के सानने, गाजियाबाद के द्वारा रिहाशी इलाके में अवैध रूप से दोरवेल/संनर सिबल को लगाकर पानी का व्यापार करने व भूमिगत जल को खत्म करने के सन्बन्ध में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था।

उक्त के सन्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 79/ल0सि0/नो0ग्रा0वा0पोर्टल/2023-24 दिनांक 12.04.2023 एवं पत्रांक 2000/ल0सि0/नो0ग्रा0वा0पोर्टल/2023-24 दिनांक 08.11.2023 द्वारा जिला भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक-2019 के अध्याय-8, 39-(1-ख) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, आप पर दो लाख रुपये( ₹0 2,00,000/-) जुर्माने की धनराशि अधिसूचित की गई थी।

परन्तु आप द्वारा अद्यतन उक्त जुर्माने की धनराशि जमा नहीं की गई है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि "भूगर्भ जल निधि" के लोक लेखा शीर्ष 8235002000400 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए, साथ संहित अयोहस्ताक्षरी को सूचित करें अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(इन्द्र विक्रम सिंह)

अधीनस्थ

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,

गाजियाबाद।

पत्रांक 2876/ल0सि0/जि.भू.ज.प्र.प./एन.ओ.सी./2023-24 दिनांकित।

प्रतिस्ति- निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, गाजियाबाद।
4. टास्क फोर्स समिति के समस्त सदस्य।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,

गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांक 746

/ल0सिं0/नो0गा0वा0पोर्टल/यसूली/2024-25 दिनांक 31-05-2024

कलेक्टर,  
गाजियाबाद।

यसूली प्रमाण-पत्र

निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, नौवाँ तल, इन्दिरा भवन, लग्नऊ  
के पत्र संख्या-1833/भू0ज0वि0/एस-26(एन0जी0टी0) दिनांक 01-02-2023 के द्वारा  
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0), नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-  
754/2022 खेमचन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 03-01-2023  
के साथ संलग्न नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को प्रेषित श्री खेमचन्द्र एवं  
अन्य द्वारा श्री दिनेश एवं श्री अमित, निवासी- बरादारी, ई ब्लॉक, नेहरू नगर द्वितीय,  
बाल्मीकी मन्दिर के सामने, गाजियाबाद के द्वारा रिहायसी क्षेत्र में अवैध रूप से  
बोरवैल/सबमर्सिबल लगाकर पानी का व्यापार करने व भूमिगत जल को खत्म करने के  
सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती पत्र की जाँच जनपद में गटि  
टैस्क फोर्स द्वारा दिनांक 03-02-2023 को जाँच की गयी, जिसकी रिपोर्ट कार्यालय  
अधिसासी अभियन्ता(ल0सिं0)/नोडल अधिकारी, वेब पोर्टल, गाजियाबाद के पत्र  
संख्या-2354 दिनांक 03-02-2023 के द्वारा जाँच आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त  
जाँच आख्या पर दिनांक 16-03-2023 को आयोजित जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद  
की बैठक में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल(प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक- 2019 के  
अध्याय-8 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये धनराशि रु0 2,00,000.00(अंकन  
दो लाख रुपये मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये।  
अधिरोपित जुर्माने की धनराशि को जमा किये जाने हेतु श्री दिनेश कसाना पुत्र श्री  
महाफूल, II, E-171, बारादरी, नेहरू नगर, जनपद-गाजियाबाद, (मो0-9582817898)  
को इस कार्यालय के पत्र संख्या-79/ल0सिं0/नो0गा0वा0 पोर्टल/2023-24 दिनांक  
12-04-2023, पत्र संख्या-2000/ल0सिं0/नो0गा0वा0 पोर्टल/2023-24 दिनांक  
08-11-2023 एवं पत्र संख्या-2876/ल0सिं0/नो0गा0वा0पोर्टल/2023-24 दिनांक  
07-02-2024 द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय नोटिस दिये गये।

श्री दिनेश कसाना पुत्र श्री महाफूल, II, E-171, बारादरी, नेहरू नगर,  
जनपद-गाजियाबाद, (मो0-9582817898), (स्थायी पता- ग्राम औरंगाबाद रिस्तल,  
लोनी) जनपद- गाजियाबाद पर अधिरोपित की गयी जुर्माने की धनराशि अभी तक जमा  
नहीं की गयी है।

अतः श्री दिनेश कसाना पुत्र श्री महाफूल, नेहरू नगर II, E-171, बारादरी,  
जनपद-गाजियाबाद, (मो0-9582817898) पर अधिरोपित की गयी जुर्माने की धनराशि  
रु0 2,00,000.00(अंकन दो लाख रुपये मात्र) को भू-राजस्व के रूप में यसूल कर  
यह धनराशि "भूगर्भ जल निधि" के लोक लेखा शीर्ष 8235002000400 में जमा  
करने का कष्ट करें।

(सुन्दर-शिकग सिंह)  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद,  
गाजियाबाद।



संयुक्त निरीक्षण


शुल्क प्रसारण अभियान, पूता-1, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीसी-12 विद्युति स्वयं, गोगरी नगर लखनऊ के पत्र संख्या-जी 41516/टी0-1/ एम00000टी0-334(विदि)/2023 दिनांक 20.08.2023 के पत्र में दिनांक मा0 एम00000टी0 में घोषित ओ0ए0 सं0-754/2022 कोमान्ड व अन्व्य बनाव रेट आफ उ0ए0 व अन्व्य में पारित आदेश दिनांक 17.03.2023 के अनुपालन में श्री दिनेश कराना पुत्र श्री महापूल निवारी 2ए-171 बारादरी, मेहरू नगर गाणियाबाद द्वारा अर्पित संघालित आर0ओ0 प्लान्ट स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 08.11.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नगत है।

निरीक्षण के समय पाया कि उपरोक्त स्थल पर वर्तमान में आर0ओ0 प्लान्ट संघालित नहीं है उपरिक्त व्यक्ति श्री चरित्रा गाधी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री दिनेश कराना द्वारा प्लान्ट बन्द कर हटा दिया है।



Paulo &  
(AEE)

वर्तमान में हरा खाल पर जल एम्बरप्रॉजेज को बाग की डिस्टिग प्रेस संकाहित है तथा पूर्व में बन्द किया गया गोरपेल बन्द/रीट्ट पाया गया। तथा अविम भूजल दोहन नहीं पाया गया। निरीक्षण आरुपा आधके अवलोनार्त एवं अधिम आवश्यक कार्यवाही राटर प्रेषित है।



*Handwritten signature*

सहायक पर्यावरण अभियन्ता,  
उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड,  
गाजियाबाद।

*Handwritten signature*

अधिशाली अभियन्ता  
लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी,  
भूगर्भ जल पोर्टल, गाजियाबाद।

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी भूगर्भ जल पोर्टल गाजियाबाद।  
पत्रांक २०१३ /ल०सि०/भू०ज०वि०/२०२३-२४ दिनांक ०९-११-२०२३  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १:-निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- २:-जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रदूषण परिषद गाजियाबाद।
- ३:-मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला भूगर्भ जल प्रदूषण परिषद गाजियाबाद।
- ४:-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड गाजियाबाद।

*Handwritten signature*  
अधिशाली अभियन्ता,  
लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी,  
भूगर्भ जल पोर्टल, गाजियाबाद।